जैविक खेती कोरिडोर योजना

अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम 2019–20

कार्यान्वयन अनुदेश

1. परिचयः–

हरित क्रांति (1966–67) के बाद खाद्यान्न उत्पादन में काफी तेजी से वृद्धि हुई है लेकिन रासायनिक एवं कृत्रिम उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग के फलस्वरूप मिट्टी, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण अनेक बिमारियाँ एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ बढ़ती जा रही है, जिसके समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए योजना चलायी जा रही है।

जैविक खेती के लिए बिहार सरकार द्वारा गंगा के किनारे के 12 (बारह) जिलों यथा–पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगुसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर एव नालंदा में जैविक कोरिडोर विकसित किया जा रहा है, जिसमें कलस्टर/समूह में जैविक खेती किया जायेगा। एक कलस्टर न्यूनतम 25 एकड़ का होगा। कलस्टर के चयनित खेतों को जैविक रूप में परिवर्तित करने में कम–से–कम तीन साल का समय लगता है। प्रथम साल पूर्ण होने पर C-1, दूसरे साल C-2, तीसरे साल C-3 (पूर्ण जैविक) का प्रमाण पत्र दिया जाता है। अंगीकृत कलस्टर को जैविक का दर्जा दिये जाने हेतु उसका प्रमाणीकरण का कार्य अनिवार्य है, जिसे बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑरगेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी (BSSOCA) द्वारा किया जायेगा।

2. कार्यक्रम का मुख्य बिन्दूः–

I. अंगीकरण हेतु जैविक उपादान के लिए अग्रिम इनपुट अनुदान 11,500 रू0/एकड़ दिया जायेगा। एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जायेगा।
II. एक कलस्टर न्यूनतम 25 एकड़ का होगा, जिसमें न्यूनतम 25 कृषक सम्मिलित होंगें।
III. प्रथम वर्ष में चयनित कलस्टरों में सब्जी की खेती किया जायेगा।
IV. चयनित कलस्टरों का प्रमाणीकरण का कार्य BSSOCA द्वारा किया जायेगा।
V. जैविक खेती हेतु किसानों की क्षमतावर्धन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।
VI. राज्य एवं जिला स्तर पर प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) का गठन किया जायेगा।
VII. जीविका समूहों को भी प्रोत्साहित किया जायेगा।
VIII. कार्यक्रम का क्रियान्वयन राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जायेगा।

योजना के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत जानकारी का उल्लेख आगे की कंडिकाओं में किया गया है।

3. जैविक खेती की प्रमुख विशेषताएँ एवं इसका उद्देश्यः–

कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप (2017–22) बनाया गया है जिसमें जैविक खेती को एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में सम्मिलित किया गया है। जैविक खेती की प्रमुख विशेषताएँ एवं इसका उद्देश्य निम्नलिखित हैः–

- कृषि पारिस्थितिकी प्रणाली (Agro-ecosystem) प्रबंधन द्वारा कृषि को दीर्घकालीन एवं टिकाऊ बनाना।
- मिट्टी की स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता का संरक्षण एवं वृद्धि करना।
- सतही एवं भूजल को भारी धातु एवं दूसरे हानिकारक तत्वों/पदार्थों से दोष मुक्त कराना।
- मिट्टी, जल एवं वायु को रसायन के दुष्प्रभाव से मुक्त कराना।
- रसायन मुक्त/विषमुक्त खाद्यान्न का उत्पादन करना।
- मानव एवं अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करना।
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।

- उत्पादन लागत मूल्य को कम करना।
- रोजगार का सृजन करना एवं सुविधा उपलब्ध कराना।

4. योजना का क्रियान्वयनः–

इस योजनान्तर्गत चयनित जिलों के चयनित समूह/कलस्टर में प्रथम वर्ष में सब्जी की जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जायेगा। योजना की सफलता को देखते हुए भविष्य में सब्जी के अलावे अन्य फसलों को भी आच्छादित किया जा सकेगा।

योजना के कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य के अनुरूप समूह का गठन किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी जिला में जैविक खेती की संभावनाओं के आधार पर सामान्यतया 1–2 प्रखंडों में कलस्टरों का ही चयन करेंगे, ताकि क्रियान्वयन में आसानी हो। कोशिश करना है कि कलस्टर लगातार हो ताकि पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में सुविधा हो सके।

5. प्रत्यक्षण हेतु कृषक/उत्पादक समूह का क्षेत्र चयन की प्रक्रियाः–

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) की धारा/खंड–05 के अनुसार समूह बनाने हेतु निम्नलिखित बातों का पूर्णतः पालन किया जायः–

5.1 समूह के गठन हेतु ऐसे क्षेत्र/ग्राम का चयन किया जाय जहॉ सामान्यतया काफी कम मात्रा में रासायनिक एवं कृत्रिम उर्वरकों तथा कीटनाशियों का प्रयोग किसानों द्वारा किया जाता है। ज्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशियों का प्रयोग करने वाले क्षेत्रों का चयन करने पर प्रथम वर्ष उत्पादकता कम होने की संभावना होती है परन्तु दूसरे वर्ष से उत्पादकता स्थिर हो जायेगी तथा तीसरे एवं आगे आने वाले वर्षो में उत्पादकता में धीरे–धीरे वृद्धि होगी।

5.2 क्षेत्र समूह के सभी किसानों का खेत एक ही भौगोलिक एवं जलवायु क्षेत्र में अवस्थित हो।

5.3 उस क्षेत्र में समूह के सभी किसान एक ही प्रकार की फसल पद्धति अपनाते हों

5.4 सभी किसान एवं उनके खेत सामान्यतया 2–3 किलोमीटर के अन्तर्गत अवस्थित हों ताकि एक स्थान पर विचार–विमर्श करने हेतु किसान आसानी से उपस्थित हो सकें।

5.5 एक कृषक समूह में कम से कम 25 एवं अधिक से अधिक 500 किसान होंगे। एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जायेगा। जैविक खेती के अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु एक कलस्टर का न्यूनतम रकबा 25 एकड़ का होगा। कलस्टर में 2.5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान द्वारा जैविक खेती स्वयं अपनी व्यवस्था से करायेंगें, परन्तु शेष रकबा का प्रमाणीकरण बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑरगेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, पटना द्वारा निःशुल्क किया जायेगा। किसानों की संख्या ज्यादा होने पर निबंधन एवं प्रमाणीकरण में कम खर्च आएगा एवं निरीक्षण में आसानी होगी।

5.6 अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु कलस्टर का चयन केन्द्र प्रायोजित योजना पी0के0भी0वाई0 (परम्परागत कृषि विकास योजना) एवं नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत संचालित कलस्टर के गॉवों को छोड़कर की जायेगी।

5.6 समूह का क्षेत्र सड़क के किनारे अवस्थित हों जिससे पर्यवेक्षण एवं जैविक उत्पादों की बिक्री में आसानी हो तथा अगल–बगल के किसान भी इसे देखकर इसका महत्व समझ सकें तथा जैविक खेती को अपना सकें।

5.7 प्रत्येक समूह के साथ आवश्यकतानुसार किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक को रिसोस पर्सन के रूप में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सम्बद्ध किया जायेगा, जो इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।

6. जैविक खेती के अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत किसानों के चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी–

(क) क्षेत्र समूह के सभी किसानों का खेत एक ही भौगोलिक एवं जलवायु क्षेत्र में अवस्थित हो।

(ख) जैविक खेती करने हेतु कृषक/उत्पादक समूह के साथ किसान एकरारनामा करने हेतु तैयार हों।

(ग) राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) द्वारा निर्धारित मानकों तथा ऑर्गेनिक सिस्टम प्लान के अनुसार जैविक खेती करने हेतु तैयार हों।

(घ) संबंधित किसान मिट्टी, जल, भारी धातु, उत्पाद के गुणवत्ता की जॉच, कीटनाशियों के अवशेष प्रभाव, आदि की जॉच कराने हेतु तैयार हों।

(ड.) जिलान्तर्गत लाभुकों के चयन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कम–से–कम 17 प्रतिशत कृषक को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाय तथा 33 प्रतिशत महिलाओं, पिछड़े वर्गो एवं अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाय।

(च) प्रत्यक्षण आयोजन हेतु चयनित कृषक/कृषक समूह द्वारा भूमि, श्रम, जुताई, सिंचाई, फसल की कटनी, दौनी एवं अन्य संसाधन स्वयं उपलब्ध कराना होगा।

(छ) कृषक आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली के लिए निर्धारित मानकों को पालन करने हेतु तैयार हों।

(ज) कृषक/उत्पादक समूह के किसान अपने उत्पादन का प्रमाणीकरण कराने हेतु तैयार हों।

7. कृषक/उत्पादक समूह के गठन की प्रक्रियाः–

कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार किसानों को जैविक खेती करने हेतु ग्राम स्तर पर जागृति पैदा करेंगे। ईच्छुक किसानों की एक सामूहिक बैठक आयोजित की जायेगी तथा समूह का गठन किया जायेगा। समूह के गठन हेतु बैठक की कार्यवाही का प्रपत्र **अनुसूची–06** के रूप में संलग्न हैं। समूह के सभी सदस्यों की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार होगी। अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार अधिक बैठकें भी बुलाई जा सकती है। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही पंजी में संधारित होगी। ऐसे किसानों की सूची निर्धारित प्रपत्र में रिसोर्स पर्सन द्वारा तैयार की जायेगी। किसानों की सूची एवं अन्य कागजात तथा निर्धारित निबंधन शुल्क की राशि प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा परियोजना निदेशक (आत्मा) को भेजी जाएगी। परियोजना निदेशक (आत्मा) द्वारा कृषक/उत्पादक समूह का निबंधन कराया जाएगा। पूर्व में निबंधित कृषक/उत्पादक समूह/SHG/JLG/FIG/किसान क्लब/जीविका के समूह/पैक्स/कॉम्फेड की दुग्ध सहकारी समितियों/बिहार सरकार के किसी भी विभाग में बनी एवं निबंधित FPO, FPC आदि को भी इस कार्य हेतु सम्मिलित किया जा सकता है, जिनको जैविक खेती करने हेतु किसी स्तर से इस वर्ष अनुदान नहीं दिया गया हो। सहायक/उप/संयुक्त/महानिबंधक द्वारा निबंधित सहकारी समितियों को भी जैविक खेती हेतु चयन/सम्मिलित किया जा सकता है। कृषि कार्य मौसम के अनुसार होता है इसलिए इच्छुक समूह के निबंधन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर जैविक खेती का कार्य शुरू कराया जा सकता है। चयनित समूह की सूचना कृषकों की सूची सहित BSSOCA को भी देनी होगी ताकि उनके द्वारा कृषकों/कृषक समूह का निबंधन प्रमाणीकरण हेतु किया जा सके। जिला कृषि पदाधिकारी स्तर से नामित पदाधिकारी द्वारा जैविक सिस्टम प्लान बनाकर समूह के सदस्यों को उपलब्ध कराया जायेगा। समूह के सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता समूह के नाम से खोला जाएगा तथा तथा समूह के नाम से पैन कार्ड बनाया जाएगा। इसके बाद जैविक खेती का कार्य संबंधित समूह द्वारा प्रारंभ कर दिया जाएगा। समूह के सभी कागजातों का संधारण ICS प्रबंधक द्वारा किया जायेगा एवं रखा जाएगा, ताकि प्रमाणीकरण संस्था के पदाधिकारी को बाद में इसे दिखाया जा सके।

8. कृषक/उत्पादक समूह के जैविक खेती हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रबंधन एवं कागजातों के संधारण की प्रक्रिया–

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) की धारा 05 के अनुसार जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण कार्य हेतु सभी उत्पादक/कृषक समूह को स्वयं आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली स्थापित करनी होती है। आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली में निम्नलिखित मानकों का संधारण करना आवश्यक होता है–

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना एवं प्रबंधन।
- आंतरिक मानक।
- जोखिम (Risk) का मूल्यांकन

समूह के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के संचालन हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रबंधक, आंतरिक निरीक्षक, अनुमोदन प्रबंधक/समिति, क्षेत्र पदाधिकारी तथा क्रय पदाधिकारी